“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261-E] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 सितम्बर 2011—भाद्र 16, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 08 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 17, 1933)

क्रमांक-10[illegible]9/वि.स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) जो दिनांक 08 सितम्बर, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 15 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,—

(1) मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द "व्यक्ति" के पश्चात् शब्द "एवं उसका परिवार" जोड़ा जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(खख) "परिवार" से अभिप्रेत है, व्यक्ति तथा उसका/उसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, एवं उसके बच्चे, पिता, माता, बहन एवं भाई, जो उस पर आश्रित हों तथा उसके साथ निवास कर रहे हों."

(3) मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में शब्द "आढ़तिया" के स्थान पर शब्द "अभिकर्ता" प्रतिस्थापित किया जाये तथा जहां कहीं शब्द "व्यापारी" आया हो, को विलोपित किया जाये.

(4) मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ठ) "मंडी प्रांगण या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या उप-मंडी प्रांगण या किसान/उपभोक्ता उप-मंडी प्रांगण" से किसी मंडी क्षेत्र के संबंध में अभिप्रेत है, कोई ऐसा विनिर्दिष्ट स्थान, जिसे धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन मंडी प्रांगण या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या उप-मंडी प्रांगण या किसान/उपभोक्ता उप-मंडी प्रांगण घोषित किया गया हो."

(5) मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (डडड) में, शब्द "पॉलिश करना", को विलोपित किया जाये.

(6) मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (डडडडड) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(डडडडडड) "विनिर्माण" से अभिप्रेत है, कृषि उपज के मूल स्वरूप, आकार, प्रकार तथा गुण को उसके वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किसी दूसरी वस्तु में बदलना जिससे उसे नया एवं भिन्न स्वरूप, आकार, प्रकार तथा गुण या संयोजन/सम्मिश्रण प्राप्त होता है.

(डडडडडडड) "विनिर्माता" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो कृषि उपज से विनिर्माण शारीरिक या यांत्रिक साधनों द्वारा करता हो."

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 5 का संशोधन.**

"(एक-क) विशेष वस्तुत के लिए एक या अधिक प्रांगण हो सकेंगे."

(2) मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के उप-खण्ड (क) तथा (ख) में, शब्द "मंडी प्रांगण" तथा "उप-मंडी प्रांगण" के पश्चात् शब्द "या विशेष वस्तुत मंडी प्रांगण" तथा "या किसान/उपभोक्ता उप-मण्डी-प्रांगण" अंत:स्थापित किये जाये.

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 11 का संशोधन.**

"**स्पष्टीकरण**—इस खंड में अभिव्यक्ति "कृषकों के प्रतिनिधि" के अंतर्गत मंडी क्षेत्र का कोई ऐसा कृषक नहीं आयेगा, यदि उसका कोई नातेदार अर्थात् पति, पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र तथा पुत्री, जो कि उसके साथ निवास कर रहे हों तथा उस पर आश्रित हों, राज्य में किसी भी मंडी समिति से व्यापारी के रूप में पंजीयन धारण करते हों."

(2) मूल अधिनियम की धारा 11-ख की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(क) जिसका नाम राजस्व/वन ग्राम के भू अभिलेखों में भूमि स्वामी पट्टा/पट्टेदार के रूप में प्रविष्ट हो और जो कम से कम आधा एकड़ भूमि में कृषि कार्य करता हो."

(3) मूल अधिनियम की धारा 11-ख की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शब्द "भूमि स्वामी" का वही अर्थ होगा, जो कि, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उसके लिये समनुदेशित है तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) के साथ उक्त के अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन स्वत्व धारक सम्मिलित है."

5. मूल अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (2) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 13 का संशोधन.**

"परंतु यदि, मंडी समिति की अवधि का अवसान हो जाने पर, नई मंडी समिति का गठन नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मंडी समिति की अवधि में वृद्धि, ऐसे अवसान होने की तारीख से, ऐसी वृद्धि के कारणों को लेखबद्ध करते हुए, 06 माह की कालावधि के लिए दो बार में अर्थात् अधिकतम 01 वर्ष की कालावधि के लिए कर सकेगी और यदि नई मंडी समिति का गठन इस बढ़ाई गई अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा, कि यह विघटित हो गई है, और ऐसी दशा में धारा 57 के उपबंध लागू होंगे."

6. (1) मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 17 का संशोधन.**

"(तीन) मंडी कृत्यकारियों का पंजीयन मंजूर करेगी या मंजूर करने से इंकार करेगी और ऐसे पंजीयन को नवीकृत, निलंबित या रद्द करेगी."

(2) मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (तेरह) के उप-खण्ड (ख) को विलोपित किया जाये.

7. (1) मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के खण्ड (दो) में शब्द "प्रसंस्करण" के पश्चात् शब्द "तथा विनिर्माण" जोड़ा जाये. **धारा 19 का संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाये, अर्थात् :—

"(8) मंडी समिति, मंडी प्रांगण, तथा विशेष वस्तु मंडी प्रांगण तथा उप-मंडी प्रांगण में वाहन के लिये प्रवेश शुल्क एवं विभिन्न सेवाएं जैसे-सुरक्षा, प्रकाश, प्रांगण में स्वच्छता तथा रख रखाव एवं अन्य व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के लिए, ऐसी दर से, जैसा कि उप-विधि में विनिर्दिष्ट किया जाये, उप-मंडी प्रांगण के किसान/उपभोक्ता से शुल्क का उद्ग्रहण (लेवी) तथा संग्रहण कर सकेगी."

धारा 27 का संशोधन. 8. मूल अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(3) सचिव, मंडी समिति के प्रति जवाबदार होगा और प्रबंध संचालक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा."

धारा 32 का संशोधन. 9. (1) मूल अधिनियम की धारा 32 में, जहां कहीं शब्द "अनुज्ञप्ति" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "पंजीयन" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (5) विलोपित की जाये.

धारा 32-क का संशोधन. 10. (1) मूल अधिनियम की धारा 32-क के शीर्षक में, शब्द "अनुज्ञप्ति" के स्थान पर शब्द "पंजीयन" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 32-क में जहां कहीं शब्द "अनुज्ञप्ति" आया हो, उसके स्थान पर, शब्द "पंजीयन" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 33 का संशोधन. 11. (1) मूल अधिनियम की धारा 33 के शीर्षक में, शब्द "अनुज्ञप्तियां" के स्थान पर शब्द "पंजीयन" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 33 में जहां कहीं शब्द "अनुज्ञप्ति" आया हो, उसके स्थान पर, शब्द "पंजीयन" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 37 का संशोधन. 12. (1) मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (4) में शब्द "आढ़तिया" के स्थान पर, शब्द "अभिकर्ता" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (4) में शब्द "व्यापारी" विलोपित किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (5) में शब्द "आढ़तिया" के स्थान पर, शब्द "अभिकर्ता" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 41 का संशोधन. 13. (1) मूल अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

"(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग या उनके नामित प्रतिनिधि, जो कि उपसचिव की श्रेणी से निम्न श्रेणी के न हो;

(ग) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, छत्तीसगढ़ या उनके नामित प्रतिनिधि, जो कि संयुक्त संचालक की श्रेणी से निम्न के न हो;

(घ) संचालक, कृषि छत्तीसगढ़ या उनके नामित प्रतिनिधि जो कि संयुक्त संचालक की श्रेणी से निम्न के न हो."

(2) मूल अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(ङ ङ) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग या उनके नामित प्रतिनिधि, जो कि उपसचिव की श्रेणी से निम्न के न हो."

14. मूल अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (1) का "परन्तुक" विलोपित किया जाये. **धारा 42 का संशोधन.**

15. मूल अधिनियम की धारा 44 के खण्ड (ग्यारह) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :— **धारा 44 का संशोधन.**

"(बारह). राज्य सरकार की पूर्वानुमति से/या निर्देश पर बोर्ड भिन्न-भिन्न कृषक कल्याणोन्मुखी गतिविधियों (कृषक हित) के लिये अपनी सकल वार्षिक आय का अधिकतम दस प्रतिशत तक राशि उपयोग कर सकेगा."

16. मूल अधिनियम की धारा 48 में, जहां कहीं शब्द "पांच सौ रुपये" आया है, उसके स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 48 का संशोधन.**

17. मूल अधिनियम की धारा 49 में, जहां कहीं शब्द "दो सौ रुपये" एवं "पांच सौ रुपये" आया है, उनके स्थान पर क्रमश: शब्द "दो हजार रुपये" एवं "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित किए जाये. **धारा 49 का संशोधन.**

18. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में शब्द "एक सौ रुपये" तथा "बीस रुपए" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" तथा "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किए जायें. **धारा 50 का संशोधन.**

19. मूल अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) में शब्द "पांच सौ रुपये से अनधिक" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये से अनधिक" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 53 का संशोधन.**

20. (1) मूल अधिनियम की धारा 54 के शीर्षक में, शब्द "मंडियों का निरीक्षण तथा मंडी समिति के कार्यकलापों की जांच" के स्थान पर शब्द "मंडियों को निर्देश देने तथा निरीक्षण करने की शक्ति एवं मण्डी समिति के कार्य कलापों की जांच" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 54 का संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(कक) प्रबंध संचालक, मंडी समितियों को निर्देश दे सकेंगे तथा मंडी समितियां ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगी."

21. (1) मूल अधिनियम की धारा 63 में शब्द "एक सौ रुपए" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपए" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 63 का संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 63 के परंतुक में, शब्द "पांच सौ रुपए" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपए" प्रतिस्थापित किया जाए.

22. मूल अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (2) के खण्ड (तेईस) एवं (चौबीस) को विलोपित किया जाये. **धारा 79 का संशोधन.**

23. अनुसूची-एक में "तन्तुओं" से संबंधित समस्त प्रविष्टियों को विलोपित किया जाये. **अनुसूची-एक का संशोधन.**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 में प्रदेश में फल एवं सब्जी तथा अन्य विशेष वस्तु के बाजारों के लिए विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी तरीके से लागू करने संबंधी प्रावधान नहीं है. भारत सरकार के आदर्श अधिनियम की मंशा के अनुरूप इस उद्देश्य से विशेष वस्तु मण्डी प्रांगणों की स्थापना किए जाने के उद्देश्य से कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 में आवश्यक संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है. साथ ही शहरों के आसपास के ग्रामों में शहरीकरण के कारण कई भूमि स्वामी अपनी भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु न करते हुए अन्य प्रयोजन के लिए कर रहे हैं जबकि वे कृषक मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाते हैं, इस हेतु कृषक समुदाय मात्र के प्रतिनिधित्व को संरक्षित करने हेतु अधिनियम में संशोधन आवश्यक हो गया है. इसके साथ ही मूल अधिनियम में कई अप्रासंगिक एवं औचित्यहीन प्रावधानों के स्थान पर इन्हें पुनरीक्षित किया जा कर एवं कई कृषि उपजों में अनुसूची शामिल करने संबंधी प्रावधान किया गया है.

कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 में संशोधन किया जाकर वन ग्रामों में रह रहे कृषक अर्थात् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम, 2006 के अनुसार पट्टाधारी कृषकों को भी मण्डी समिति में मतदान का अधिकार दिलाया जाना प्रस्तावित है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :

तारीख : 26-8-2011

चन्द्रशेखर साहू
कृषि मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की विभिन्न धाराओं के सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

2. परिभाषाएं—

(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(ख) "कृषक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसकी जीविका का साधन पूर्णतः कृषि उपज पर आधारित हो और जो अपने स्वयं के लिए—

(i) अपने स्वयं के श्रम द्वारा; या

(ii) अपने पति या अपनी पत्नी के श्रम द्वारा; या

(iii) अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या अपने कुटुम्ब के किसी ऐसे सदस्य के, जो कि ऊपर उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट है, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिक द्वारा या ऐसी मजदूरी पर, जो कि नकद या वस्तु के रूप में देय हो किन्तु फसल के अंश के रूप में देय न हो, रखे गये नौकरों द्वारा;

खेती करता हो, किन्तु उसके अंतर्गत कृषि-उपज का कोई व्यापारी, आढ़तिया, प्रसंस्करण (प्रोसेसर), दलाल, तुलैया या हम्माल नहीं आता है भले ही ऐसा व्यापारी आढ़तिया, प्रसंस्करणकर्ता, दलाल, तुलैया या हम्माल कृषि-उपज के उत्पादन में भी लगा हुआ हो;

* * * * * * * * * * * * * *

(ङ) "आढ़तिया" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अपने नियोक्ता व्यापारी की ओर से तथा प्रत्येक संव्यवहार में अन्तर्वलित रकम पर कमीशन या प्रतिशतता के प्रतिफल स्वरूप कृषि उपज का क्रय करता है तथा नगद भुगतान करता है, उसे अपनी अभिरक्षा में रखता है और सम्यक् अनुक्रम में उसे नियोक्ता व्यापारी को परिदत्त करता है

या जो मण्डी क्षेत्र के भीतर से या मण्डी क्षेत्र के बाहर से विक्रय के लिए भेजी गई, कृषि उपज को प्राप्त करता है तथा अपनी अभिरक्षा में लेता है, मण्डी-क्षेत्र में उसे बेचता है तथा क्रेता से उसके लिए भुगतानों का संग्रहण करता है और अपने नियोक्ता व्यापारी को विक्रय आगम भेजता है;

* * * * * * * * * * * * * *

(ठ) "मण्डी-प्रांगण या उपमण्डी प्रांगण" से किसी मण्डी-क्षेत्र के संबंध में अभिप्रेत है कोई ऐसा विनिर्दिष्ट स्थान जिसे धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन मण्डी-प्रांगण या उपमण्डी-प्रांगण घोषित किया गया हो;
स्पष्टीकरण— अभिव्यक्ति "उपमण्डी प्रांगण" के अन्तर्गत "हाट बाजार" आते हैं;

* * * * * * * * * * * * * *

(डडड) "प्रसंस्करण" से अभिप्रेत है चूर्ण करना, पेरना, छिलका उतारना, भूसी निकालना, अर्धोष्ण करना, पालिश करना, पालिश करना, ओटना, दबाना, सुखाना या कोई अन्य अभिक्रिया जो किसी कृषि-उपज या उसके उत्पादन पर उसके अन्तिम उपभोग के पूर्व की जाती हो;

* * * * * * * * * * * * * *

(डडडडड) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खण्ड (24) और (25) में दिया गया है;

* * * * * * * * * * * * * *

5. **मंडी-प्रांगण तथा मूल मंडी—**

(1) (क) प्रत्येक मंडी क्षेत्र में,—
(एक) एक मंडी-प्रांगण होगा; और
(दो) एक से अधिक उपमंडी प्रांगण हो सकेंगे.

(ख) प्रत्येक मंडी-प्रांगण या उपमंडी-प्रांगण के लिए एक मूल मंडी होगी.

(2) राज्य सरकार, धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा—
(क) किसी विनिर्दिष्ट स्थान को, जिसके अंतर्गत मण्डी-क्षेत्र में कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, यथास्थिति मंडी-प्रांगण या उपमंडी-प्रांगण घोषित करेगी; और

(ख) यथास्थिति ऐसे मंडी-प्रांगण या उपमण्डी-प्रांगण संबंध में, मंडी क्षेत्र में के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को मूल मंडी घोषित करेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

11. **मण्डी समिति का गठन—**

(1) मण्डी समिति में निम्नलिखित होंगे :—
(ख) कृषकों के दस प्रतिनिधि जो ऐसी अर्हताएं रखते हों जैसी कि विहित की जाएं, जो किसी मण्डी क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों में से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये हों.

स्पष्टीकरण— इस खण्ड में अभिव्यक्ति "कृषकों के प्रतिनिधि" के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र का कोई ऐसा कृषक नहीं आएगा यदि ऐसे कृषक का कोई नातेदार अर्थात् पत्नी, पति, पिता, माता, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पिता का पिता, पिता का भाई, पिता की बहिन, पिता के भाई का पुत्र या पुत्री, पिता की बहिन या पुत्र या पुत्री, माता के भाई का पुत्र या पुत्री, माता की बहिन का पुत्र या पुत्री, भाई का पुत्र या पुत्री, बहिन का पुत्र या पुत्री, पुत्र की पत्नी, पुत्री का पति, बहिन का पति, पत्नी की बहिन का पति, पिता की बहिन का पति, माता की बहिन का पति, पुत्र का पुत्र या पुत्री, पुत्री का पुत्र या पुत्री, पत्नी का पिता

या माता, पत्नी का भाई या बहिन, पत्नी के भाई का पुत्र या पुत्री, पत्नी की बहिन का पुत्र या पुत्री, पति का भाई, पति के भाई की पत्नी, पति के भाई का पुत्र या पुत्री राज्य की किसी समिति से व्यापारी-अनुज्ञप्ति धारण करता है.

* * * * * * * * * * * * * *

11- ख. मत देने के लिए और कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए अर्हताएं :—

(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति—

(क) जिसका नाम ग्राम के भू-अभिलेखों में भूस्वामी के रूप में प्रविष्ट है;

(घ) जिसका नाम इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन तैयार की गई मतदाता सूची में सम्मिलित है,

कृषकों के प्रतिनिधि के निर्वाचन में मत देने के लिए अर्हित होगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मत देने के लिए पात्र नहीं होगा.

स्पष्टीकरण — शब्द "भूमि-स्वामी" का वही अर्थ होगा जो कि उसे छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिया गया है.

* * * * * * * * * * * * * *

13. प्रथम सम्मिलन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि, उनके द्वारा त्याग-पत्र और उनके पद में रिक्ति—

(2) मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य मण्डी समिति के प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे:

परन्तु यदि मण्डी समिति की अवधि का अवसान हो जाने पर नई मण्डी समिति का गठन नहीं किया जाता तो उस मण्डी समिति के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह विघटित हो गई है और उस दशा में धारा 57 के उपबंध लागू होंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

17. मण्डी समिति की शक्तियां तथा कर्त्तव्य—

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मण्डी समिति—

(तीन) मण्डी कृत्यकारियों को अनुज्ञप्तियां मंजूर करेगी या मंजूर करने से इन्कार करेगी और ऐसी अनुज्ञप्तियों को नवीकृत, निलंबित या रद्द करेगी;

* * * * * * * * * * * * * *

(तेरह) (ख) तुलाई तथा हम्माली से संबंधित प्रभारों को वसूल करेगी और उन्हें तुलैयों तथा हम्मालों में वितरित करेगी;

* * * * * * * * * * * * * *

19. मण्डी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति —

(1) प्रत्येक मण्डी समिति—

(दो) अधिसूचित कृषि उपज पर, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो और प्रसंस्करण में उपयोग के लिए लाई गई हो,

ऐसी दरों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर न्यूनतम

पचास पैसे की दर के और अधिकतम दो रुपये की दर के अध्यधीन रहते हुए, नियत की जाए, विहित रीति में मण्डी फीस का उद्ग्रहण करेगी :

परन्तु उस मण्डी समिति को छोड़कर, जिसके मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि-उपज, यथास्थिति, किसी कृषक या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विक्रय या प्रसंस्करण हेतु लाई गई हो, कोई मण्डी समिति ऐसी मण्डी फीस का उद्ग्रहण नहीं करेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

(7) मण्डी समिति, मण्डी-प्रांगण में प्रवेश करने वाली उन गाड़ियों पर, जो कि भाड़े पर चलती हों, ऐसी दर से, जैसा कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाय, प्रवेश-फीस का उद्ग्रहण तथा संग्रहण कर सकेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

27. **सचिव और अन्य अधिकारी—**

(3) सचिव, मण्डी समिति के प्रति जवाबदार होगा और मण्डी समिति के नियंत्रण के अधीन होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

32. **अनुज्ञप्तियां मंजूर करने की शक्ति—**

(1) धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति, जो मंडी क्षेत्र में कार्य करना चाहता हो, अनुज्ञप्ति को मंजूरी या उसके नवीकरण के लिए मंडी समिति को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाये, आवेदन करेगा.

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ ऐसी फीस संलग्न की जावेगी जैसी कि प्रबंध संचालक, विहित की गई सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें.

(3) मंडी समिति अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी या उसका नवीकरण कर सकेगी या लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, अनुज्ञप्ति को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर सकेगी :

परन्तु यदि कि मण्डी समिति, अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण के लिए आवेदन पत्र होने की तारीख से छः सप्ताह के भीतर अनुज्ञप्ति मंजूर करने में या अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने में चूक करती है, तो यह समझा जायगा कि अनुज्ञप्ति यथास्थिति मंजूर कर दी गई है या उसका नवीकरण कर दिया गया है.

परन्तु यह और भी यदि किसी आवेदक के विरुद्ध मण्डी समिति के शोध्य, जिनके अन्तर्गत छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 के अधीन शोध्य भी आते हैं, बकाया है तो अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं की जावेगी :

परन्तु यह भी कि कोई भी अनुज्ञप्ति किसी अवयस्क को मंजूर नहीं की जावेगी.

(4) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई समस्त अनुज्ञप्तियां इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अध्यधीन होंगी.

(5) कोई आढ़तिया या दलाल या दोनों, कृषक विक्रेता या व्यापारी क्रेता के बीच के किसी संव्यवहार में, कृषक-विक्रेता की ओर से न तो कोई कार्य करेगा और न ही वह कमीशन या दलाली के मद्धे कोई रकम, कृषक-विक्रेता को देय विक्रय धन में से काटेगा.

32 (क) **एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिए अनुज्ञप्ति—**

(1) धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति जो एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में कार्य करना चाहता हो, अनुज्ञप्ति

की मंजूरी या उसके नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे प्राधिकारी/अधिकारी को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी शर्तों पर, जैसी की नियमों में विहित किया जाए, आवेदन करेगा.

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी/अधिकारी अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा या उसका नवीनीकरण कर सकेगा या लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति को मंजूर करने या उसका नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा.

(3) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीनीकृत की गई समस्त अनुज्ञप्तियां इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए होगी.

33. **अनुज्ञप्तियां रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति—**

(1) धारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए मण्डी समिति, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगी—

(क) यदि अनुज्ञप्ति जानबूझकर दुर्व्यदेशन या कपट द्वारा प्राप्त की गई हो; या

(ख) यदि उस अनुज्ञप्ति का धारक या कोई सेवक या उसकी (अनुज्ञप्ति धारक की) अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति के निबंधनों या शर्तों में से किसी निबंधन या शर्त का भंग करता है; या

(ग) यदि अनुज्ञप्ति का धारक अन्य अनुज्ञप्ति-धारकों के साथ मिलकर अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन को मण्डी प्रांगण/प्रांगणों में जानबूझकर बाधित करने, निलंबित करने या रोकने के आशय से मण्डी-क्षेत्र में कोई कार्य करें या अपना प्रसामान्य कारबार चलाने से प्रविरत रहे और जिसके परिणामस्वरूप किसी उपज का विपणन बाधित हो गया हो, निलंबित हो गया हो या रूक गया हो;

(घ) यदि अनुज्ञप्ति का धारक दिवालिया हो गया हो;

(ङ) यदि अनुज्ञप्ति का धारक कोई ऐसी निरर्हता, जैसी कि विहित की जाये, उपगत कर ले; या

(च) यदि अनुज्ञप्ति का धारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाये.

(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष, किसी अनुज्ञप्ति को, किसी ऐसे कारण से, जिस कारण से कि कोई मण्डी समिति किसी अनुज्ञप्ति को उपधारा (1) के अधीन निलंबित कर सकती हो, एक मास के अनधिक कालावधि के लिए, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, निलंबित कर सकेगा :

परन्तु ऐसा आदेश उसके किये जाने की तारीख से सात दिन की कालावधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेगा यदि ऐसे अवसान के पूर्व उस आदेश की पुष्टि मण्डी समिति द्वारा नहीं कर दी गई हो.

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, प्रबंध संचालक लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी भी अनुज्ञप्ति को, जो कि मण्डी समिति द्वारा मंजूर की गई हो या नवीकृत की गई हो, आदेश द्वारा निलंबित या रद्द कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश, मण्डी समिति को सूचना दिये बिना, नहीं किया जायेगा.

(4) इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक निलंबित या रद्द नहीं की जायेगी, जब तक उसके धारक को ऐसे निलंबन या रद्दकरण के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

* * * * * * * * * * * * * *

37. **क्रय तथा विक्रय की शर्तें—**

(4) आढ़तिया केवल अपने नियोक्ता व्यापारी से ही ऐसी दरों से, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जायें, अपना कमीशन

वसूल कर सकेगा जिस कमीशन के अंतर्गत ऐसे व्यय आते हैं जो उपज के भंडारकरण के संबंध में तथा उसके द्वारा की गई अन्य सेवाओं के संबंध में उसके द्वारा उपगत किये जायें.

(5) प्रत्येक आढ़तिया इस बात के लिए दायी होगा कि वह :—

* * * * * * * * * * * * * *

41. **बोर्ड का गठन.—**

(1) (ख) सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग;

(ग) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां, छत्तीसगढ़;

(घ) कृषि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़;

(ङ) धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त किया गया प्रबंध संचालक;

* * * * * * * * * * * * * *

42- **उपाध्यक्ष या सदस्यों की पदावधि.—**

(1) परन्तु उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले.

* * * * * * * * * * * * * *

44. **प्रयोजन, जिनके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि व्यय की जायेगी—**

(ग्यारह) कृषि उपज के विपणन का विनियमन करने के लिए सामान्य हित का कोई अन्य प्रयोजन.

* * * * * * * * * * * * * *

48. **धारा 6 या धारा 31 के उल्लंघन के लिये शास्तिः—**जो कोई धारा 6 के खंड (ख) 2 (या धारा 31 या धारा 37 की उपधारा (2)) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे और जुर्माना से दण्डित किया जाएगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके कि दौरान उल्लंघन चालू रहे, एक सौ रुपये तक का धारा 6 के खण्ड (ख) के उल्लंघन के मामले में तथा पचास रुपये तक का (धारा 31 या धारा 37 की उपधारा (2) के उल्लंघन) के मामले में हो सकेगा :

परन्तु न्यायालय के निर्णय में विशेष तथा पर्याप्त प्रतिकूल कारणों में वर्णित न होने पर द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दण्ड तीन मास की अवधि के कारावास तथा पांच सौ रुपये के जुर्माना से कम नहीं होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

49. **अन्य धाराओं के उल्लंघन के लिये शास्ति.—**

(1) जो कोई धारा 35 के उपबंधों के उल्लंघन में, कोई अप्राधिकृत व्यापारिक छूट देगा या लेगा, वह दोष सिद्धि पर, कारावास से, जो तीन मास तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा तथा पश्चात्वर्ती उल्लंघन की दशा में कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जायेगा.

(2) जो कोई मण्डी समिति द्वारा मंजूर की गई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा दण्डित किया जावेगा.

(3) जो कोई किसी अधिकारी को, लेखाओं का निरीक्षण करने में या मण्डी समिति के कार्यकलापों की जांच करने या बाधा पहुंचायेगा का धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश का अनुपालन नहीं करेगा

वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके कि दौरान अपराध चालू रहे, दो सौ रुपये तक का हो सकेगा.

(4) यदि मण्डी समिति का कोई अधिकारी सेवक या सदस्य, जबकि वह मण्डी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाहियों के बारे में जानकारी देने के लिये धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अपेक्षित किया जाय—

(क) कोई जानकारी देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या कोई जानकारी देने से इंकार करेगा, या

(ख) जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा, तो वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा.

(5) जो कोई धारा 54 की उपधारा (3) के उपबंधों के उल्लंघन में किसी प्राधिकृत व्यक्ति को मण्डी समिति की किन्हीं पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों या सम्पत्ति का अभिग्रहण करने या कब्जा लेने में बाधा पहुंचायेगा या ऐसे व्यक्ति को उसका परिदान देने के चूक करेगा, वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा.

(6) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबंधों के अधीन मण्डी समिति को शोध्य किसी फीस या अन्य राशि के भुगतान में कपट पूर्वक अपवंचन करेगा या किन्हीं तुलैयों या हम्माल को पारिश्रमिक लेखे शोध्य भुगतान करने में अपवंचन करेगा या अपने नियोजन के लिये पारिश्रमिक की मांग विक्रेता अथवा क्रेता के प्राधिकार के बिना करेगा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अनुसार न मांग कर अन्य प्रकार से पारिश्रमिक की मांग करेगा, वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो उसके लिये दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके कि दौरान ऐसा अपराध चालू रहे, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा.

(7) जो कोई इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों का उपविधियों में से किसी भी नियम या उपविधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह, यदि वह अपराध के लिये कोई अन्य शास्ति उपबंधित न की गई हो, जुर्माना से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

50. **मण्डी समिति तथा अध्यक्ष की, शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति:—**

(1) परन्तु मण्डी समिति एक सौ रुपये से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने के लिये सक्षम नहीं होगी तथा अध्यक्ष बीस रुपये से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने के लिये सक्षम नहीं होगा :

* * * * * * * * * * * * * *

53. **अपराधों का प्रशमन समझौता:—**

(1) मण्डी समिति की उसकी उप-समिति किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कि संबंध में यह अभिकथित हो कि उसने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, इस प्रकार वसूली योग्य फीस या अन्य रकम के अतिरिक्त, ऐसे अपराध के प्रशमन के मुद्दे पांच सौ रुपये से अनधिक राशि प्रतिगृहित कर सकेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

54. **मण्डियों का निरीक्षण तथा मण्डी समिति के कार्यकलापों के संबंध में जांच:—**

(1) (क) किसी मण्डी समिति के लेखाओं तथा कार्यकलापों का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा :

* * * * * * * * * * * * * *

63. **हानि, कमी तथा वसूल न होने योग्य फीसों को बट्टे खाते डालने की शक्ति:—** जब कभी यह पाया जाय कि किसी मण्डी समिति को शोध्य कोई रकम वसूल न होने योग्य है या यह पाया जाय कि उसका परिहार कर दिया जाना चाहिये या जब कभी किसी

समिति के धन या सामान या अन्य सम्पत्ति की कोई हानि किसी व्यक्ति के कपट या उपेक्षा के कारण या किसी अन्य कारण से हुई हो और यह पाया जाय कि वह सम्पत्ति या धन वसूल न होने योग्य है, तब 1 (एक सौ रुपये से अनधिक राशि होने की दशा में अध्यक्ष और इससे अधिक राशि होने की दशा में) मण्डी समिति यह आदेश दे सकेगी कि उन सबको यह दर्शाकर बट्टे खाते डाल दिया जाए कि वे खो गये हैं, खो गई है, वसूल न होने योग्य हैं या कि उनका परिहार कर दिया गया है, जैसी भी कि दशा हो.

परन्तु यदि किसी मामले में रकम पांच सौ रुपये से अधिक हो, तो ऐसा आदेश प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं होगा.

* * * * * * * * * * * * *

79. **नियम बनाने की शक्तिः—**

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबंध लागू हो सकेंगे.

(तेईस) राज्य विपणन सेवा गठन की रीति :

(चौबीस) राज्य विपणन सेवा के सदस्यों की भर्ती अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान, छुट्टीभत्ता, का[illegible] भत्ता, [illegible] धार पेंशन, उपदान, वार्षिकी, अनुकम्पा निधि, भविष्य निधि, पदच्युति, हटाया जाना, आचरण [illegible] य दण्ड, अपील तथा अन्य सेवा शर्तें :

* * * * * * * * * * * * *

अनुसूची
[धारा 2 (1) (क) देखिये]

एक-तंतु

1. 1 (कपास (बिना ओटी हुई) 2 सन 2 (3. अम्बाड़ी/मेस्टा)

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.